कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग ठेका हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत, जनपद न्यायालय बागपत।

नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 01:30 बजे आहूत की गयी। बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री रत्नम श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री रजनीश कुमार द्वितीय, सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय बागपत उपस्थित आयें।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग हेतु ठेके की नीलामी कराये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनाँकित 06.03.2026 के अनुपालन में नीलाम समिति द्वारा उक्त दोनो पार्किंग की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 16.03.2026 को जनपद न्यायालय बागपत के सम्मेलन कक्ष में सायं 04.00 बजे कराये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। मोटर साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी किसी भी बोलीदाता द्वारा खुली बोली में भाग न लिये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु सम्पन्न नही हो सकी थी।

नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड करायी जायेगी तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी उक्त को देखा जा सकेगा। मोटर साईकिल एवं कार पार्किंग के ठेकें की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बागपत से दिनांक 13.03.2026 को सायं 04.00 बजे से पूर्व फार्म प्राप्त किये जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है।

वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

क्र.स.	ठेके का विवरण	धरोहर धनराशि
01.	कार पार्किंग	50000/-रूपये
02.	मोटर साईकिल एवं साईकिल पार्किंग	50000/-रूपये

वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु कार पार्किंग, मोटर साईकिल एवं साईकिल पार्किंग की दरें निम्नवत हैः-

कार पार्किंग	30/- रूपये प्रति वाहन
ऑटो रिक्शा	30/- रूपये प्रति वाहन
मोटर साईकिल	20/- रूपये प्रति वाहन
साईकिल	05/- रूपये प्रति वाहन

नीलामी की शर्तें

01. वाहन पार्किंग ठेका नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अवधि (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) तक के लिये वैध होगी।

02. जिस ठेकेदार/फर्म के पास वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।

03. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

04. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

05. किसी भी एक व्यक्ति/ फर्म द्वारा मोटरसाइकिल पार्किंग अथवा कार पार्किंग में से किसी एक पार्किंग स्थल के लिए ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

06. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये कार पार्किंग की बोली गत वर्ष की आवंटन धनराशि 353300/-रूपये के 10 प्रतिशत को जोडकर धनराशि अंकन 388300/- रूपये से आरम्भ की जायेगी।

07. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिये मोटर साईकिल पार्किंग की बोली धनराशि अंकन 585900/- रूपये से आरम्भ की जायेगी।

08. धरोहर धनराशि के रूप में नगद अंकन 50000/- रूपये या डिमाण्ड डॉफ्ट जनपद न्यायाधीश बागपत के पक्ष में केन्द्रीय नजारत में जमा किया जायेगा।

09. जिस ठेकेदार/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

10. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी। नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को तीन किस्तों में प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवटंन को निरस्त कर सकते है।

11. वाहन पार्किंग ठेकेदार/फर्म को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल पर कीचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।

12. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण करा सकते है। पार्किंग स्थल पर गंदगी पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।

13. व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड एवं धरोहर धनराशि नीलामी की निर्धारित दिनाँक से पूर्व केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत में दाखिल करना होगा।

14. आवंटी व्यक्ति/फर्म को आवंटन उपरांत इस आशय का शपथ पत्र 100/-रूपये के स्टांप पर प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी अन्य कार्य हेतु अथवा किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

06/03/26
रजनीश कुमार द्वितीय
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू0 डिवीजन द्वितीय,
बागपत।

06/03/26
रत्नम श्रीवास्तव
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।

06/03/26
पवन कुमार राय
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-05 बागपत।

Approved.
06.03.26
District Judge
Baghpat

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) के लिये जनपद न्यायालय बागपत के बाहर प्रस्तावित स्थल पर मोटर साईकिल पार्किंग एवं कार पार्किंग हेतु स्थानों की नीलामी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2026 को अपराह्न 04:00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में होना नियत है।

इच्छुक व्यक्ति मोटर साईकिल एवं कार पार्किंग के ठेके की नीलामी में भाग लेने हेतु दिनांक 16.03.2026 को अपराह्न 01.00 बजे से पूर्व केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त से सम्बन्धित सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर देखी जा सकती है।

दिनांकः-06.03.2026

(पवन कुमार राय)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-05 बागपत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

06. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
07. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।
08. कार्यालय तहसील सदर बागपत, खेकड़ा तथा बड़ौत।
09. कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।
10. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(पवन कुमार राय)
अध्यक्ष,
ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-05 बागपत।